



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7267 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

स्वा.पो. D.No. 7392 /-

प्रति,

श्री ~~श.प्र. वक्फ बोर्ड~~ ~~म.प्र. शासन~~ ~~भोपाल~~ ~~म.प्र. शासन~~ ~~भोपाल~~

~~म.प्र. वक्फ बोर्ड~~ ~~म.प्र. शासन~~ ~~भोपाल~~

~~म.प्र. वक्फ बोर्ड~~ ~~म.प्र. शासन~~ ~~भोपाल~~ ~~म.प्र. शासन~~ ~~भोपाल~~

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 11/12/12 से 12/12/13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

ole

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

Revised

शाखा आडिट I नस्ती क्र. 67/0 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री राजे लाल केलाडा गान्धी नैथन पदक इलाहाबाद

गौर. बादशाह नि. रागाजीपुरा ए.बी.रोड सब्बा रकालिमा
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. साल 11-12 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

केवल 118,164/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 11-12 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा को जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2008-2009	289169/-	-	289169/-	289169/-	7%	20264/-		
		2009-2010	5,95546/-	138,941/-	4,56655/-	4,56655/-	7%	31962/-		
		2010-2011	66,500/-	109251/-	550750/-	550700/-	7%	38569/-		
		2011-2012	-	-	-	-	7%	38519/-		
		2012-2013	-	-	-	-	7%	38519/-		
								167853/-		
								48727/-		
								214580/-		
								98616/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क 16/6/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7266 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सुबपोस्ट D.No. 7391/-

प्रति,

श्री ~~डा. अहमद अहमद खान~~ ~~मुख्य कार्यपालन अधिकारी~~

~~मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल~~

~~मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल~~

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

ole

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट I नस्ती क्र. 19/9 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं.

दिनांक 6754
11-07-13

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : ~~श्री राशिद खानजी या मुतवल्ली वक्फ जागराट~~
~~देरगाह खानजी देहली देरगाह - जवालिखट निजामगढ़~~
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व रजि. क्र. 123001/-
केवल 123001/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 7411-12 से लगायत साल 7412-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		7412 7413				17200/-	7%	8254/-		
						पूर्व रजि.		111797/-		
						कुल रजि.		123001/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. कलक 11/07/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कैम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7265 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सुबकोट D.NO. 7390/-

प्रति,

श्री श्रीमान ~~महोदय~~ ~~महोदय~~

तहसील ~~महोदय~~ ~~महोदय~~

जिला ~~महोदय~~ ~~महोदय~~

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2012-13 से तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

oc

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 3833/25-04-2013

शाखा आडिट I नस्ती क्र. डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री सोहन केली केहराज दाम्प 2 डेगाह गति-5 न

गुराफिर वाना दाम्प 2 डेगाह गति-5 न 2 डेगाह लम्हा
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व 1.2 डेगाह न

केवल 15848/ रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2012-13 से लगायत साल * भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012-2013	-	-	-	2,28,600/-	7%	15848/-	-	-
								15848/-	-	-

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क 10/4/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175,2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7264 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सुबपोर D.NO. 7389/-

प्रति,

श्री
.....
.....

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

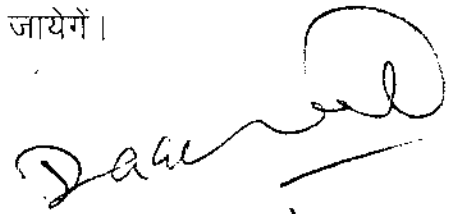
वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

ole


(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

3847/25-04-2013

शाखा आडिट I नस्ती क्र. 1/9 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री अलम उद्दीन गारूर सन्निव जीवही गतिजार्
मो. बाजार जंका हसद

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व दजा फाद गह

केवल 15568/ रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 07-08 से लगायत साल 2-12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2-12 2-13	-	-	-	111,200/-	7%	7784/-		
						2568/-		7784/-		
						7784/-		15568/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

HPD
हस्ता. क्लर्क 10/4/13

OK
हस्ता. इंचार्ज शाखा

YB
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7263 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सूचि पोस्ट D.No. 7388 /-

प्रति,

श्री ~~सुल्तान शाह~~

~~महाराज~~

~~महाराज~~

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 11/12 से 12/12 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

all

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट I नस्ती क्र. 9/9 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : इ.पि. कालीया 2012-13 से 2013-14 तक का वक्फ जमाग मालिकाना इलाक़ा

मुताबिक निम्न द्वारा निर्धारित चंदा निगरानी नोचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. उत्तर उत्तराखण्ड

केवल 21561/- रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2011-12 से लगायत साल 2012-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012				1,10,650/-	7%	7742/-		
		2013				2,87,210/-		13815/-		
						3,97,860/-		21561/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क
10/11/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यालय अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175,2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7269 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सुप्रीमकोर्ट D.No. 7394/-

प्रति,

श्री 31. स्वामीजी महाराज
जन्म गतिमात्र गुणगो विद्यापीठ
विद्यापीठ (गुणगो)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष से तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

Mc

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट I नस्ती क्र. 9/9 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री अमरवल्ली कमेटी शाहि जागा मस्जिद पुरानी

खिलपुरी जिला खिलपुरी जिला

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. 1873004 7/13111

केवल 84,148/रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल X X X से लगायत साल X X भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	2,50,805/-	63,102/-	1,87,313	1,87,300/-	7/13111	71037/-		
						कुल दोल	84,148/-			

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क 26/6/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन- 0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड / D.NO. 7268 / भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सुप्रीमोर्ट D.NO. 7393 /

प्रति,

श्री राजीव गान्धी प्रति

ה'תשנ"ח, יום חמישי, כ"ב חשוון

1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800
 1801
 1802
 1803
 1804
 1805
 1806
 1807
 1808
 1809
 1810
 1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष से तक भी कार्यालय ग.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः— एक

OK

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट नस्ती क्र. 719 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री हाजी गोरू कर्षी, ऊहगावा परगा- दलगावा-
रवांनगा दलगा- निवारागा- निवारागा दलगा- निवारागा दलगा- निवारागा दलगा-
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. रु. 24138/-
केवल 24138/- रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर
भेजे और हिसाबात साल 2012-13 से लगायत साल 2013-14 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012								
		2013				3,418/-	1/100	24136/-		
								24138/-		
								10,000/-		
								14138/-		
								10,000/-		
								4138/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क 5/4/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कैम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

Gwalior.

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7272 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013
अधिसूचना D.NO. 7397/-

प्रति,

श्री
.....
.....
.....

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012-13 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

or

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543175

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 374K122-04-2012

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

15/12/2023 11:56 AM

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों, 22.5 लाख में

केवल 15000/- रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2007-08 से लगायत साल 2009-10 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012				136,100/-	7%	9527/-		
		2013				26,500/-		9527/-		
						कुल 162,600/-		19054/-		

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क 6/4/13

हस्ता. इं. चार्ज शाखा

मुख्य कार्यालयीन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कैम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7270/भोपाल, दिनांक 13.08.2013

स्थितिपोल्ल D.No. 7395/-

प्रति,

श्री ~~राजेश शर्मा~~ ~~राजेश शर्मा~~

~~राजेश शर्मा~~ ~~राजेश शर्मा~~

~~राजेश शर्मा~~ ~~राजेश शर्मा~~

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

BC

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

37/9/22-04-2013

शाखा आडिट I नस्ती क्र.

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

श्री राजी शंकर इस्लाम हुसैन के हवाला जागा मस्जिद

मि. जागा मस्जिद नॉर्थ गुगा जिला गुगा

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

श्री राजी शंकर इस्लाम हुसैन के हवाला जागा मस्जिद

केवल 48695/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 85.86 से लगायत साल 86.87 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		86-12				2,79,500/-	11%	19565/-		
		86-13						29130/-		
								48695/-		

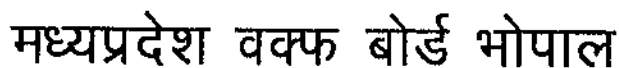
दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. कलक 01/4/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



(केन्द्रीय वकफ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

प्रति.

श्री श्री गुरुभ्यो नमः

.....

नि. मोर. ३ अं. ३ रा. ३ क्षो. ३ गु. ३ नि. ३ गु. (म. ३. ३.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यार्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः— एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543175

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 3720/22-24-2018

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री गो. इन्द्राद ज्ञान गंगूरी कहमास गोलियाद व
 इन्द्राद ज्ञान गंगूरी नि. गोलियाद कहमास के शागेन गु. नि. गु.
 हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व राशि पर
 केवल 10304/- रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर
 भेजे और हिसाबात साल 2011-12 से लगायत साल 2012-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012				147,300/-	1%	10311/-		
		2013	-	-	-			-7		
						30000/-		10300/-		
						10000/-		10311/-		
						9-05-2013		7112		

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क 7/10/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल